प्रति = श्रीमान - अध्यक्ष महोदय जी

कार्यालय = विद्युत उपभोक्ता शिकायत
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम छत्तीसगढ़
क्रमांक 62
दिनांक 08 JUN 2026
रायपुर (शहर)

आवेदक = ध्यान सिंह कोमरे आ. देवसिंह कोमरे
ग्रा० धानीटोला पो० कुमरटोला
त. मोहला जिला MMAC (CG)

विषय = D/C कनेक्शन हेतु

प्रकरण - यह है कि मार्च 2026 से D/C हेतु राशि का भुगतान हो चुका है तथा अभी तक विद्युत अधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। अतः आप कार्यालय के नियमानुसार सौंप कर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

अनत मोहला D/C

दिनांक 4/6/26

प्रार्थी
ध्यान सिंह कोमरे
ग्रा० धानीटोला
पो० कुमरटोला
(1) मो. 6268934680
(2) 7987355442

कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लिमिटेड मोहला

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

छ.रा.वि.मंडल की उत्तरदायी कंपनी

क्र./कार्य.अभि/ मोहला/734 दिनांक/03/07/2026

प्रति ,

अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम राजनांदगांव

विषय :- आवेदक श्री थानसिंह कोमरे पिता चैतु राम ग्राम घासीटोला वितरण केन्द्र गोटाटोला जिला-मानपुर ,मोहला,अं.चौकी के विवाद निराकरण प्रतिवेदन बाबत्।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रं. 13-01/वि.उ.शि.नि.फो./55 राजनांगांव दिनांक 22.06.2026

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्रानुसार लेख है कि श्री थानसिंह कोमरे पिता चैतु राम ग्राम घासीटोला वितरण केन्द्र गोटाटोला विवाद का निराकण प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नानुसार है -

(1) उपभोक्ता श्री थानसिंह कोमरे पिता चैतु राम ग्राम घासीटोला वितरण केन्द्र गोटाटोला जिला - मोहला मानपुर अं.चौकी का कृषि पंप कनेक्शन हेतु राशि का भुगतान दिनांक 27.03.2026. को किया गया हैं।

(2) उपभोक्ता श्री श्री थानसिंह कोमरे पिता चैतु राम एवं अन्य 3 उपभोक्ता के साथ शामिल हैं कृषि पंप का प्रॉक्कलन क्रंमाक G447803625.0035 दिनांक 17.02.2026 राशि 4,69,284.00 (चार लाख उनहत्तर हजार दो सौ चौरासी रूपये) स्वीकृत हुआ है, जिसमें से प्रत्येक उपभोक्ता को एक-एक लाख रूपये कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत किसानों को छुट 69,284.00 प्रदान किया गया है ।.सर्विस कनेक्शन राशि 875.00 का मांगपत्र दिया गया था जिसे दिनांक 27.03.2026 को भुगतान किया गया है।

(3) शासन द्वारा प्रतिवर्ष पंप कनेक्शनों का कार्य किये जाने हेतु लक्ष्य प्रदान किया जाता है जिसमें से भुगतान की तिथि के अनुसार वरियता क्रम से कार्य किया जाता है । मोहला संभाग को वर्ष 2026-27 में कुल औपचारिकतापूर्ण आवेदन 1343 है, शासन के द्वारा इस वर्ष 294 नग कृषि पंप उर्जीकरण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, अतः केवल वरीयता क्रमांक 1 से 294 तक का उर्जीकारण का कार्य किया जा रहा है, शिकायतकर्ता उपभोक्ताओ का वरीयता क्रं. 868 से 871 तक है, जो वर्तमान लक्ष्य मे शामिल नही है। शासन से अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त होने पर तथा वरीयता सूची क्रमांक में शामिल होने शिकायतकर्ता उपभोक्ताओ का कृषि पंप उर्जीकरण का कार्य किया जाऐगा।

संलग्न :- स्वीकृति प्रपत्र,कायदिश की प्रति,भुगतान की रसीद ।

कार्यपालन अभियंता (सं./सं.) संभाग
छ0स्टे0पॉ0डिस्ट्री0कं0लिमि0मोहला

प्रतिलिपि:- श्री थानसिंह कोमरे पिता चैतु राम ग्राम घासीटोला जिला-मानपुर-मोहला-अं.चौकी के आवेदन का निराकरण प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रेषित।

Scanned with OKEN Scanner

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक /विउशिनिफोराज./2026/64 राजनांदगांव दिनांक 16 JUL 2026

01. श्री थानसिंह कोमरे पिता चैतु राम
ग्राम ~~पाण्डुटोला~~ घासीटोला, वितरण केन्द्र ~~अं.चौकी~~ गोटाटोला
जिला मानपुर–मोहला–अं. चौकी (छ.ग.)

02. कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग,
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., मोहला।

विषय :– प्रकरण क्रमांक/24/2026 पर पारित आदेश

––00––

विषयांतर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, राजनांदगांव

(मुहर: विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव)

प्रतिलिपि :

अधीक्षण अभियंता (वृत्त), छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., राजनांदगांव

Scanned with OKEN Scanner

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष ए.के. गौराहा)

प्रकरण क्रमांक/24/2026

संस्थित दिनांक 15/06/2026

श्री थानसिंह कोमरे पिता चैतु राम ....परिवादी
ग्राम घासीटोला, वितरण केन्द्र गोटाटोला
जिला मानपुर–मोहला–अं. चौकी (छ.ग.)

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग, ...उत्तरवादी
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., मोहला (छ.ग.)

आदेश

(दिनांक 16/07/2026 को पारित)

नवीन कृषि पंप कनेक्शन हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हुए भुगतान सहित सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद भी उत्तरवादी द्वारा लंबी अवधि तक स्थायी कृषि पंप का कनेक्शन प्रदान नहीं किये जाने से क्षुब्ध होकर परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

2. मामले में उभयपक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

क. परिवादी व्दारा, ग्राम घासीटोला वितरण केन्द्र गोटाटोला, जिला मोहला मानपुर अं. चौकी स्थित अपनी कृषि भूमि पर 3 एच.पी. कृषि पंप के स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन उत्तरवादी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

ख. उत्तरवादी द्वारा, परिवादी सहित 03 अन्य आवेदकों के कृषि पंप कनेक्शन हेतु प्रॉक्कलन कमांक G447803625.0035 दिनांक 17.02.2026 राशि 4,69,284.00 (चार लाख उनहत्तर हजार दौ सौ चौरासी रूपये) स्वीकृत किया गया एवं कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत प्रत्येक उपभोक्ता को एक लाख रूपये की छूट प्रदान करते हुए प्रति उपभोक्ता राशि रू. 18196.00 (सर्विस कनेक्शन एवं अन्य चार्जस सहित) का मांग–पत्र जारी किया गया जिसका भुगतान परिवादी द्वारा दिनांक 27.03.2026 को कर दिया गया है ।

Scanned with OKEN Scanner

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद / शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादी द्वारा कृषि पंप हेतु समस्त दस्तावेजों सहित आवेदन करने, इस हेतु आवश्यक मांग पत्र राशि का भुगतान कर दिए जाने के पश्चात लंबी अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी उत्तरवादी द्वारा कृषि पंप हेतु स्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया एवं इस संबंध में पूछताछ किये जाने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है । परिवादी व्दारा अविलंब विस्तार कार्य पूर्ण करते हुए कृषि पंप का स्थायी कनेक्शन प्रदान किए जाने की मांग की गयी है ।

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी द्वारा पत्र कमांक 734 दिनांक 03.07.2026 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि –

शासन द्वारा प्रतिवर्ष कृषि पंप कनेक्शनों का विस्तार कार्य किये जाने हेतु लक्ष्य प्रदान किया जाता है जिसके अनुसार भुगतान की तिथि के आधार पर वरीयता निर्धारित करते हुए कार्य किया जाता है । मोहला संभाग के अंतर्गत वर्ष 2026–27 में कुल औपचारिकतापूर्ण लंबित कृषि पंप आवेदन 1343 नग हैं, जिनमें से शासन के द्वारा इस वर्ष 294 नग कृषि पंपों के उर्जीकरण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है । शासन व्दारा दिए गए लक्ष्य अनुसार केवल वरीयता क्रमांक 1 से कमांक 294 तक के कृषि पंपों के उर्जीकरण का कार्य किया जा रहा है । परिवादी का वरीयता क्रं. 868 से 871 तक है, जो वर्तमान लक्ष्य में शमिल नहीं है। शासन से अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त होने तथा कार्य की वरीयता सूची में शामिल होने पर परिवादी के कृषि पंप के उर्जीकरण का कार्य किया जाएगा।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं –

(i) क्या परिवादी को कृषि पंप कनेक्शन प्रदान किये जाने हेतु उत्तरवादी द्वारा की गयी कार्यवाही नियमानुसार है ।

(ii) क्या उत्तरवादी द्वारा परिवादी को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने में विलंब किया जा रहा है एवं इस विलंब के लिए परिवादी उत्तरवादी से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (i) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

6. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कृषि पंप हेतु आवेदन किये जाने एवं समस्त औपचारिकता पूर्ण करने के उपरांत भी उत्तरवादी व्दारा न तो उसे स्थायी कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है और न ही किसी प्रकार की जानकारी प्रदान की जा रही

Scanned with OKEN Scanner

है । इस संबंध उत्तरवादी व्दारा बताया गया है कि परिवादी के कृषि पंप कनेक्शन हेतु प्राक्कलन स्वीकृति, मांग पत्र राशि का भुगतान सहित अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं । चूंकि कृषि पंप कनेक्शनों के विस्तार कार्य के लिए राज्य शासन व्दारा प्रति वर्ष लक्ष्य निर्धारित करते हुए विस्तार कार्य हेतु राशि प्रदान की जाती है जिसके बाद विभाग व्दारा वरीयताक्रम में विस्तार कार्य संपन्न करते हुए स्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाता है । चूंकि परिवादी का नाम अभी शासन व्दारा निर्धारित लक्ष्य सूची में शामिल नहीं हो सका है अतः उसका विस्तार कार्य लंबित है। शासन से नवीन लक्ष्य एवं तद्नुसार विस्तार कार्य की राशि प्राप्त होने पर परिवादी के कृषि पंप कनेक्शन का कार्य करते हुए स्थायी कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा अतः उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि परिवादी को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए उत्तवादी व्दारा की जा रही कार्यवाही सही एवं नियमानुसार है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (ii) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

7. छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम 2024 में दर्ज "अनुसूची 1 एवं 2 का अनुलग्नक" के अनुसार–

सेवा का स्वरूप	निष्पादन के मानक अंतर्गत सेवा प्रदान करने के लिए अधिकतम समय सीमा
4.2. निम्नदाब कृषि कनेक्शन	
(i) ऐसे मौसम में जहां खेत में पहुंच उपलब्ध हो, के समय कृषि कनेक्शन हेतु	विस्तार हेतु संपूर्ण व्यय का भुगतान करने के उपरांत 90 दिवस में
(ii) ऐसे मौसम में जहां खेत में पहुंच उपलब्ध नहीं हो, के समय कृषि कनेक्शन हेतु	विस्तार हेतु संपूर्ण व्यय का भुगतान करने के उपरांत 180 दिवस में

आवेदक व्दारा संपूर्ण व्यय राशि का भुगतान किए जाने के बाद ही निर्धारित समयावधि में विस्तार कार्य पूर्ण करते हुए कृषि पंप का स्थायी कनेक्शन प्रदान किया जाना है । अवगत हो कि कृषि पंपों के विस्तार कार्य संबंधी व्यय का भुगतान राज्य शासन व्दारा अनुज्ञप्तिधारी को किया जाता है । स्पष्ट है कि विस्तार कार्य राशि शासन से प्राप्त होने के अभाव में उत्तरवादी व्दारा परिवादी के कृषि पंप कनेक्शन का कार्य न किये जाने को, कार्य में विलंब किया जाना, नहीं माना जा सकता है ।

यद्यपि छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) विनियम 2020 में दर्ज अनुसूची 1 की कंडिका "क" के नीचे दर्ज टिप्पणी के अनुसार–

Scanned with OKEN Scanner

"लाइसेंसी विद्युत सप्लाई के विस्तार में विलंब के ऐसे प्रकरणों में उत्तरदायी नहीं होगा जिसमें विलंब, न्यायालय में लंबित प्रकरणों, **वैधानिक अनुमतियों**, राईट आफ वे, भूमि के अर्जन तथा विस्तार कार्य उपभोक्ता व्दारा लाईसेंसी के सुपर विजन में किया जा रहा हो अथवा विलब उपभोक्ता व्दारा मुख्य विद्युत निरीक्षक से उच्च दाब या अति उच्च दाब विद्युत संस्थापना के लिए अनुमति आदि के कारण हो रहा हो, जो लाईसेंसी के नियंत्रण से परे है ।"

चूंकि राज्य शासन व्दारा कृषि पंपों के उर्जीकरण हेतु लक्ष्य निर्धारित करते हुए विस्तार कार्य हेतु राशि प्रदान किये जाने का कार्य उत्तरवादी के नियंत्रण से बाहर है अतः उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि यदि लक्ष्य के अभाव में, माननीय आयोग व्दारा निर्धारित समयावधि में उत्तवादी व्दारा परिवादी के कृषि पंप कनेक्शन का विस्तार कार्य करते हुए कनेक्शन प्रदान नहीं भी किया जाता है तो उस विलंब के लिए परिवादी, उत्तरवादी से किसी प्रकार की प्रतिकर राशि प्राप्त किए जाने का अधिकारी नहीं होगा ।

8. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत मैं यह पाता हूं कि परिवादी अपना मामला साबित करने में असफल रहा है । अस्तु प्रस्तुत परिवाद में निम्नानुसार आदेश प्रदान किया जाता है –

1. उत्तरवादी व्दारा परिवादी को कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए की जा रही कार्यवाही सही एवं नियमानुसार है ।
2. फोरम, उत्तरवादी को निर्देशित करता है कि शासन व्दारा भविष्य में प्राप्त होने वाली लक्ष्य सूची में परिवादी का नाम शामिल होने पर अविलंब विस्तार कार्य पूर्ण करते हुए कनेक्शन प्रदान किया जाना सुनिश्चित करे ।

9. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ.ग.) में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

आदेश पारित किया गया

(ए.के. गौराहा)
अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner